

प्रेषक

प्राणेश चन्द्र शुक्ल,  
उप सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुबारकपुर गेरिया जनपद फतेहपुर के भवन निर्माण हेतु (चालू अंश जिला योजना) के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-404/17फ/नि0नि0अ0/2020-21, दिनांक 16.09.2020 तथा शासनादेश संख्या-117/2020/421/पांच-6-2020-35(निर्माण)/19, दिनांक 31.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2020 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रू. 189.97 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव के क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुबारकपुर गेरिया जनपद फतेहपुर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत लागत रू. 189.97 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू. 37.99 लाख (सैंतीस लाख निन्यानवे हजार रुपये मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनांक 29.09.2020 एवं शासनादेश संख्या-117/2020/421/पांच-6-2020-35(निर्माण)/19, दिनांक 31.03.2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है।
3. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।
4. धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जाएगा। आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जाएगा। आहरित धनराशि किसी बैंक/डाकघर आदि में नहीं रखा जाएगा।

5. कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।
  6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07.04.2020 के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का होगा।
  7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।
  8. उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
  9. प्रश्नगत कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा लिया जायेगा।
- 3- उक्त धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान संख्या-32 के "लेखाशीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-04 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन (चालू अंश जिला योजना) 24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
प्राणेश चन्द्र शुक्ल  
उप सचिव।

**संख्या-231/2020/1377(1)/पांच-6-2020, तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, फतेहपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
5. अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ०प्र०, लखनऊ।
6. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
7. निदेशक (पी०एच०सी०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
8. अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक/संबंधित परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि०, लखनऊ/ फतेहपुर।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
प्राणेश चन्द्र शुक्ल  
उप सचिव।